

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04.2013

क्रमांक एफ 16-3/13/बी-ग्यारह : मेसर्स गुजरात गार्जियन लि., का लगभग रु.730 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर, जिला भिण्ड में 2.75 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता का फ्लोट ग्लास निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि:-

1. मेसर्स गुजरात गार्जियन लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (संशोधित, 2012) में घोषित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :-
 - (1) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता - 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों हेतु।
 - (2) प्रवेश कर से छूट - प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्ष हेतु।
 - (3) रियायती दरों पर भूमि आवंटन- शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 18.10.2011 में रु.500 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं को रियायती दरों पर शासकीय भूमि आवंटन हेतु लिए गए निर्णय के अनुरूप 25 एकड़ भूमि निर्धारित प्रीमियम के 25 प्रतिशत दर पर एवं शेष आवश्यक भूमि निर्धारित प्रीमियम पर दो जावे।
2. परियोजना को मध्यप्रदेश शासन की पवन उर्जा परियोजना नीति, 2012 के अंतर्गत लाभ दिया जावे।
3. कम्पनी की अन्य मांगों का अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 24/04.2013

पृ क्रमांक एफ 16-3/13/बी-ग्यारह,
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/उर्जा विभाग/श्रम विभाग/नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/खनिज साधन विभाग/लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयों में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आर्थोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स गुजरात गार्जियन लि., स्टेट हाइवे न. 13, ग्राम ज्योन्ध, वालिया रोड, अंकलेश्वर-393002, गुजरात। कम्पनी को निर्धारित समयों में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
6. प्रबंध संचालक, आईआईडीसी, ग्वालियर।
7. महप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मालनपुर, जिला भिण्ड म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन